

駐新德里台北經濟文化中心與駐台北印度—台北協會

避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定

駐新德里台北經濟文化中心與駐台北印度—台北協會，咸欲締結避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定，爰經議定下列條款：

第一條 適用之人

本協定適用於具有一方或雙方領域居住者身分之人。

第二條 適用之租稅

- 一、本協定適用於各領域、其所屬機關或地方機關對所得所課徵之租稅，其課徵方式在所不問。
- 二、對總所得或各類所得課徵之所有租稅，包括對轉讓動產或不動產之利得所課徵之租稅及對企業給付之工資或薪俸總額所課徵之租稅，應視為對所得所課徵之租稅。
- 三、本協定所適用之現行租稅，尤指：
 - (一) 在臺北財政部主管之稅法所適用之領域，指：
 - 1、營利事業所得稅。
 - 2、個人綜合所得稅。
 - 3、所得基本稅額。包括對該等租稅所課徵之附加稅。
 - (二) 在印度財政部主管之稅法所適用之領域，指所得稅，包括其附加稅。
- 四、本協定亦適用於協定簽署後新開徵或替代現行租稅，其與現行租稅相同或實質類似之任何租稅。雙方領域之主管機關對於其各自稅法之重大修訂，應通知對方。

第三條 一般定義

- 一、除上下文另有規定外，本協定稱：
 - (一)「領域」，視情況指第二條第三項第一款或第二款所稱領域；「他方領域」及「雙方領域」亦同。
 - (二)「人」，包括個人、公司、人之集合體及依各自領域稅法規定視為課稅單位之其他任何實體。

- (三) 「公司」，指法人或依稅法規定視同法人之任何實體。
- (四) 「企業」，適用於任何營業之經營。
- (五) 「一方領域之企業」及「他方領域之企業」，分別指由一方領域之居住者所經營之企業及他方領域之居住者所經營之企業。
- (六) 「國際運輸」，指一方領域之企業以船舶或航空器所經營之運輸業務。但該船舶或航空器僅於他方領域境內經營者，不在此限。
- (七) 「主管機關」：
- 1、在臺北財政部主管之稅法所適用之領域，指財政部部長或其授權之代表。
 - 2、在印度財政部主管之稅法所適用之領域，指印度財政部部長或其授權之代表。
- (八) 「租稅」，視情況指本協定第二條第三項第一款及第二款所列舉之租稅，但不包含因未繳納或短漏所應支付與該等租稅有關之任何數額或相當於罰鍰或罰金之數額。
- (九) 「會計年度」：
- 1、在第二條第三項第一款所稱之領域，以一月一日為會計年度始日。
 - 2、在第二條第三項第二款所稱之領域，以四月一日為會計年度始日。

二、本協定於一方領域適用時，未於本協定界定之任何名詞，除上下文另有規定外，依本協定所稱租稅於協定適用當時之法律規定辦理，該領域稅法之規定應優先於該領域其他法律之規定。

第四條 居住者

- 一、本協定稱「一方領域之居住者」，指依該領域法律規定，因住所、居所、設立登記地、管理處所或其他類似標準而負有納稅義務之人，包括該領域、其所屬機關或地方機關。
- 二、僅因有源自一方領域之所得而負該領域納稅義務之人，非為本協定所稱一方領域之居住者。但第二條第三項第一款所稱領域，如僅對其居住者個人源自該領域之所得課稅，該居住者個人不適用本項規定。

三、個人依第一項規定，如同為雙方領域之居住者，其身分決定如下：

(一) 於一方領域內有永久住所，視其為該領域之居住者；如於雙方領域內均有永久住所，視其為與其個人及經濟利益較為密切之領域之居住者（主要利益中心）。

(二) 如主要利益中心所在地領域不能確定，或於雙方領域內均無永久住所，視其為有經常居所之領域之居住者。

(三) 如於雙方領域內均有或均無經常居所，雙方領域之主管機關應相互協議解決之。

四、個人以外之人依第一項規定，如同為雙方領域之居住者，視其為實際管理處所所在地領域之居住者；如實際管理處所所在地領域不能確定，雙方領域之主管機關應相互協議解決之。

第五條 常設機構

一、本協定稱「常設機構」，指企業從事全部或部分營業之固定營業場所。

二、「常設機構」包括：

(一) 管理處。

(二) 分支機構。

(三) 辦事處。

(四) 工廠。

(五) 工作場所。

(六) 銷貨中心。

(七) 一人提供儲存設備予他人使用之倉庫。

(八) 農場、種植場或執行農業、林業、種植業或相關活動之其他場所。

(九) 礦場、油井或氣井、採石場或任何其他天然資源開採場所。

三、(一) 建築工地或營建、安裝或裝配工程或相關監督活動之存續期間超過二百七十天者，構成常設機構。

(二) 企業透過其員工或其他僱用之人員提供服務，包括諮詢服務，(為相同或相關計畫案)在他方領域從事該等性質活動之期

間，於任何十二個月期間內持續或合計超過一百八十二天者，構成常設機構。

四、前三項之「常設機構」，不包括下列各款：

- (一) 專為儲存、展示或運送屬於該企業之貨物或商品目的而使用設備。
- (二) 專為儲存、展示或運送目的而儲備屬於該企業之貨物或商品。
- (三) 專為供其他企業加工目的而儲備屬於該企業之貨物或商品。
- (四) 專為該企業採購貨物或商品或蒐集資訊目的所設置之固定營業場所。
- (五) 專為該企業從事其他具有準備或輔助性質活動目的所設置之固定營業場所。
- (六) 專為從事前五款任一組合之活動所設置之固定營業場所。但以該固定營業場所之整體活動具有準備或輔助性質者為限。

五、當一人（除第七項所稱具有獨立身分之代理人外）於一方領域內代表他方領域之企業，有下列情形之一者，其為該企業所從事之任何活動，視該企業於前者領域有常設機構，不受第一項及第二項規定之限制：

- (一) 有權以該企業之名義於該一方領域內簽訂契約，並經常行使該項權力。但該人經由固定營業場所僅從事第四項之活動，依該項規定，該固定營業場所不視為常設機構。
- (二) 於前者領域經常完全或幾乎完全僅為該企業接受訂單。

六、一方領域之保險企業，除再保險外，如該企業係透過非屬第七項規定具有獨立身分之代理人於他方領域收取保險費，或承保位於他方領域之風險，視該企業於他方領域有常設機構，不受本條前五項規定之限制。

七、企業僅透過經紀人、一般佣金代理商或其他具有獨立身分之代理人，以其通常之營業方式，於一方領域內從事營業者，不得視該企業於該領域有常設機構。但代理人活動完全或幾乎完全代表該企業者，該代理人非本項所稱具有獨立身分之代理人。

八、一方領域之居住者公司，控制或受控於他方領域之居住者公司或於他

方領域內從事營業之公司（不論其是否透過常設機構或其他方式），均不得就此事實認定任一公司為另一公司之常設機構。

第六條 不動產所得

- 一、一方領域之居住者取得位於他方領域內之不動產所產生之所得，他方領域得予課稅。
- 二、稱「不動產」，應具有財產所在地領域法律規定之含義，包括附著於不動產之財產、供農林業使用之牲畜及設備、適用與地產有關一般法律規定之權利、不動產收益權，及有權取得因開採或有權開採礦產、資源與其他天然資源所給付變動或固定報酬之權利。船舶、小艇及航空器不視為不動產。
- 三、直接使用、出租或以其他任何方式使用不動產所取得之所得，應適用第一項規定。
- 四、由企業之不動產及供執行業務使用之不動產所產生之所得，亦適用第一項及第三項規定。

第七條 營業利潤

- 一、一方領域之企業，除經由其於他方領域內之常設機構從事營業外，其利潤僅由該一方領域課稅。該企業如經由其於他方領域內之常設機構從事營業，他方領域得就該企業之利潤課稅，但以歸屬於該常設機構之利潤為限。
- 二、除第三項規定外，一方領域之企業經由其於他方領域內之常設機構從事營業，各領域歸屬該常設機構之利潤，應與該常設機構為一獨立之企業，於相同或類似條件下從事相同或類似活動，並以完全獨立之方式與該常設機構所屬企業從事交易時，所應獲得之利潤相同。
- 三、計算常設機構之利潤時，應依常設機構所在地領域之稅法及其限制規定，准予減除該常設機構為營業目的而發生之費用，包括行政及一般管理費用，不論該費用係於常設機構所在地領域或他處發生。但常設

機構對該企業總機構或其他辦事處給付之數額（非實際費用之償還），如係以使用專利權或其他權利而支付權利金、手續費或其他類似給付，或以提供特定服務或管理而支付佣金或其他費用，或除銀行業外，以提供金錢借貸予該常設機構而支付利息等方式為之者，不得減除之。另於計算常設機構之利潤時，常設機構對該企業總機構或其他辦事處收取之數額（非實際費用之償還），如係以使用專利權或其他權利而收取權利金、手續費或其他類似給付，或以提供特定服務或管理而收取佣金及其他費用，或除銀行業外，以提供金錢借貸予該企業總機構或其他辦事處而收取利息等方式為之，亦不列入計算。

- 四、一方領域慣例依企業全部利潤按比例分配予各部門利潤之原則，計算應歸屬於常設機構之利潤者，不得依第二項規定排除該一方領域之分配慣例。但採用該分配方法所獲致之結果，應與本條所定之原則相符。
- 五、常設機構僅為該企業採購貨物或商品，不得對該常設機構歸屬利潤。
- 六、前五項有關常設機構利潤之歸屬，除有正當且充分理由者外，每年均應採用相同方法決定之。
- 七、利潤中如包括本協定其他條文規定之所得項目，各該條文之規定，應不受本條規定之影響。

第八條 海空運輸

- 一、一方領域之企業以船舶或航空器經營國際運輸業務之利潤，僅由該一方領域課稅。
- 二、本條稱運輸企業以船舶或航空器經營國際運輸業務之利潤，包括下列項目：
 - （一）以計時或計程方式出租船舶或航空器之利潤。
 - （二）使用、維護或出租用於運送貨物或商品之貨櫃（包括貨櫃運輸之拖車及其他設備）之利潤。但該貨櫃僅在他方領域境內使用者，不在此限。

前述出租、使用或維護以船舶或航空器經營國際運輸業務有附帶關係者為限。

三、本條稱以船舶或航空器經營國際運輸業務直接相關之投資所取得之利息，如係經營國際運輸業務所必需，應視為經營國際運輸業之利潤，不適用第十一條規定。

四、參與聯營、合資企業或國際代理業務之利潤，亦適用第一項規定。

第九條 關係企業

一、兩企業間有下列情事之一，於其商業或財務關係上所訂定之條件，異於雙方為獨立企業所為，其任何應歸屬其中一企業之利潤因該等條件而未歸屬於該企業者，得計入該企業之利潤，並予以課稅：

(一) 一方領域之企業直接或間接參與他方領域企業之管理、控制或資本。

(二) 相同之人直接或間接參與一方領域之企業及他方領域企業之管理、控制或資本。

二、一方領域將業經他方領域課稅之他方領域企業之利潤，調整為一方領域企業之利潤並予以課稅，如該項調整之利潤係按該兩企業間所訂定之條件與互為獨立企業所訂定之相同條件歸屬於一方領域企業之利潤，他方領域應就該調整之利潤所課徵之稅額作適當之調整。在決定此項調整時，應考量本協定其他條文之規定，如有必要，雙方領域之主管機關應相互磋商。

第十條 股利

一、一方領域之居住者公司給付他方領域之居住者之股利，他方領域得予課稅。

二、前項給付股利之公司如係一方領域之居住者，該領域亦得依其法律規定，對該項股利課稅。但股利之受益所有人如為他方領域之居住者，其課徵之稅額不得超過股利總額之百分之十二點五。

本項規定不影響對該公司用以發放股利之利潤所課徵之租稅。

三、本條稱「股利」，指自股份或其他非屬債權而得參與利潤分配之其他權利所取得之所得，及自公司其他權利取得而依分配股利之公司居住

地領域稅法規定，與股份所得課徵相同租稅之所得。

四、股利受益所有人如為一方領域之居住者，且給付股利公司為他方領域之居住者，經由前者於他方領域內之常設機構從事營業或他方領域內之固定處所執行業務，且與股利有關之股份持有與該常設機構或固定處所有實際關聯時，不適用第一項及第二項規定，而視情況適用第七條或第十四條規定。

五、一方領域之居住者公司自他方領域取得利潤或所得，其所給付之股利或其未分配盈餘，即使全部或部分來自他方領域之利潤或所得，他方領域不得對該給付之股利或未分配盈餘課稅。但該股利係給付予他方領域之居住者，或與該股利有關之股份持有與他方領域內之常設機構或固定處所有實際關聯者，不在此限。

第十一條 利息

一、源自一方領域而給付他方領域居住者之利息，他方領域得予課稅。

二、前項利息來源地領域亦得依其法律規定，對該項利息課稅。但利息之受益所有人如為他方領域之居住者，其課徵之稅額不得超過利息總額之百分之十。

三、源自一方領域之利息，如係由符合下列規定之人取得及受益所有，該一方領域應予免稅，不適用前項規定：

(一) 他方領域之政府、所屬機關或地方機關。

(二) 第二條第三項第一款及第二款所稱領域之中央銀行及輸出入銀行。

(三) 第二條第三項第一款及第二款所稱領域之雙方主管機關認可之其他機構。

四、本條稱「利息」，指由各種債權所孳生之所得，不論有無抵押擔保及是否有權參與債務人利潤之分配，尤指政府債券之所得及債券或信用債券之所得，包括附屬於該等債券之溢價收入及獎金。但延遲給付之違約金非屬本條所稱利息。

- 五、利息受益所有人如為一方領域之居住者，經由其於利息來源之他方領域內之常設機構從事營業或他方領域內之固定處所執行業務，且與利息給付有關之債權與該常設機構或固定處所有實際關聯時，不適用第一項及第二項規定，視情況適用第七條或第十四條規定。
- 六、由一方領域之居住者所給付之利息，視為源自該領域。利息給付人如於一方領域內有常設機構或固定處所，而與利息給付有關債務之發生與該常設機構或固定處所有關聯，且該利息係由該常設機構或固定處所負擔者，不論該利息給付人是否為該一方領域之居住者，該利息視為源自該常設機構或固定處所所在地領域。
- 七、利息給付人與受益所有人間，或上述二者與其他人間有特殊關係，其債權有關之利息數額，超過利息給付人與受益所有人在無上述特殊關係下所同意之數額，本條規定應僅適用於後者之數額。在此情形下，各領域得考量本協定之其他規定，依其法律對此項超額給付課稅。

第十二條 權利金及技術服務費

- 一、源自一方領域而給付他方領域之居住者之權利金或技術服務費，他方領域得予課稅。
- 二、前項權利金或技術服務費來源地領域亦得依其法律規定，對該項權利金或技術服務費課稅。但權利金或技術服務費之受益所有人如為他方領域之居住者，其課徵之稅額不得超過權利金或技術服務費總額之百分之十。
- 三、（一）本條稱「權利金」，指使用或有權使用文學作品、藝術作品或科學作品之任何著作權，包括電影片或供廣播或電視播映用之影片或錄音帶、任何專利權、商標權、設計或模型、計畫、秘密處方或製程，或使用或有權使用工業、商業或科學設備、或有關工業、商業或科學經驗之資訊，所取得作為對價之任何方式之給付。
- （二）本條稱「技術服務費」，指本協定第十四條及第十五條以外之管理、技術或諮詢服務，包含技術或其他人員提供之服務，所

取得作為對價之任何方式之給付。

四、權利金或技術服務費受益所有人如為一方領域之居住者，經由其權利金或技術服務費來源之他方領域內之常設機構從事營業或他方領域內之固定處所執行業務，且與權利金或技術服務費給付有關之權利或財產與該常設機構或固定處所有實際關聯時，不適用第一項及第二項規定，視情況適用第七條或第十四條規定。

五、（一）由一方領域之居住者給付之權利金或技術服務費，視為源自該領域。但權利金或技術服務費給付人如於一方領域內有常設機構或固定處所，而權利金或技術服務費給付義務之發生與該常設機構或固定處所有關聯，且該權利金或技術服務費係由該常設機構或固定處所負擔者，不論該權利金或技術服務費給付人是否為一方領域之居住者，該權利金或技術服務費視為源自該常設機構或固定處所所在地領域。

（二）依前款規定權利金或技術服務費非屬源自任一方領域，如該權利金與於任一方領域內使用或有權使用權利或財產相關，或該技術服務費與於任一方領域內提供服務相關，該權利金或技術服務費視為源自該一方領域。

六、權利金或技術服務費給付人與受益所有人間，或上述二者與其他人間有特殊關係，考量使用、權利或資訊等因素，所給付之權利金或技術服務費數額，超過權利金或技術服務費給付人與受益所有人在無上述特殊關係下所同意之數額，本條規定應僅適用於後者之數額。在此情形下，各領域應考量本協定之其他規定，依其法律對此項超額給付課稅。

第十三條 財產交易所得

一、一方領域之居住者轉讓位於他方領域內合於第六條所稱不動產而取得之利得，他方領域得予課稅。

二、一方領域之企業轉讓其於他方領域內常設機構營業資產中之動產而取得之利得，或一方領域之居住者轉讓其於他方領域內執行業務固定處

所之動產而取得之利得，包括轉讓該常設機構（單獨或連同整個企業）或固定處所而取得之利得，他方領域得予課稅。

三、轉讓經營國際運輸業務之船舶或航空器，或附屬於該等船舶或航空器營運之動產而取得之利得，僅由轉讓人為居住者之領域課稅。

四、一方領域之居住者轉讓股份，如該股份之百分之五十以上價值直接或間接來自於他方領域內之不動產，其取得之利得，他方領域得予課稅。

五、轉讓前項以外之公司股份而取得之利得，該公司為居住者之領域得予課稅。

六、轉讓前五項以外之任何財產而取得之利得，僅由該轉讓人為居住者之領域課稅。

第十四條 執行業務

一、一方領域之居住者個人因執行業務或其他具有獨立性質活動而取得之所得，僅由該一方領域課稅。但有下列情況之一者，他方領域亦得課稅：

（一）該居住者為執行該等活動而於他方領域內設有固定處所，他方領域僅得就歸屬於該固定處所之所得課稅。

（二）該居住者於一會計年度中開始或結束之任何十二個月期間內，於他方領域持續居留或合計居留期間達一百八十三天，他方領域僅得就該居住者於其領域內執行該等活動而取得之所得課稅。

二、稱「執行業務」，包括具有獨立性質之科學、文學、藝術、教育或教學等活動，及內科醫師、律師、工程師、建築師、外科醫師、牙醫師及會計師等獨立性質之活動。

第十五條 個人受僱勞務

一、除第十六條、第十八條至第二十一條規定外，一方領域之居住者因受

僱而取得之薪津、工資及其他類似報酬，除其勞務係於他方領域提供者外，應僅由該一方領域課稅。前述受僱勞務如於他方領域內提供，他方領域得對該項勞務取得之報酬課稅。

二、一方領域之居住者於他方領域內提供勞務而取得之報酬，符合下列各款規定者，應僅由該一方領域課稅，不受前項規定之限制：

(一) 該所得人於一會計年度中開始或結束之任何十二個月期間內，於他方領域持續居留或合計居留期間不超過一百八十三天。

(二) 該項報酬非由他方領域居住者之雇主所給付或代表雇主給付。

(三) 該項報酬非由該雇主於他方領域內之常設機構或固定處所負擔。

三、因受僱於一方領域之企業，而於該企業所經營國際運輸業務之船舶或航空器上提供勞務而取得之報酬，該一方領域得予課稅，不受前二項規定之限制。

第十六條 董事報酬

一方領域之居住者因擔任他方領域之居住者公司董事會之董事職務而取得之董事報酬及其他類似給付，他方領域得予課稅。

第十七條 表演人及運動員

一、一方領域之居住者為劇院、電影、廣播或電視演藝人員、音樂家等表演人，或為運動員，於他方領域內從事個人活動而取得之所得，他方領域得予課稅，不受第十四條及第十五條規定之限制。

二、表演人或運動員以該身分從事個人活動之所得，如不歸屬於該表演人或運動員本人而歸屬於其他人者，該表演人或運動員活動舉行地領域對該項所得得予課稅，不受第七條、第十四條及第十五條規定之限制。

三、表演人或運動員於一方領域從事活動所取得之所得，如該活動實質係由雙方領域或其中一方領域、其所屬機關或地方機關之公共基金所資助，該所得僅由表演人或運動員為居住者之領域課稅，不適用前二項

規定。

第十八條 養老金

除第十九條第二項規定外，因過去僱傭關係，給付予一方領域居住者之養老金或其他類似報酬，僅由該一方領域課稅。

第十九條 政府勞務

一、（一）一方領域、其所屬機關或地方機關給付予為該等機關提供勞務之個人之薪津、工資及其他類似報酬（養老金除外），僅由該一方領域課稅。

（二）但該等勞務如係由他方領域之居住者個人於他方領域提供，且該個人符合下列條件之一者，該項報酬應僅由他方領域課稅：

1. 係他方領域之國民。
2. 非專為提供上述勞務之目的而成為他方領域之居住者。

二、（一）一方領域、其所屬機關或地方機關，或經由其所籌設之基金，給付予為該等機關或地方機關提供勞務之個人之養老金，僅由該一方領域課稅。

（二）但如該個人係他方領域之居住者，且為他方領域之國民，該養老金僅由他方領域課稅。

三、為一方領域、其所屬機關或地方機關所經營之事業提供勞務而取得之薪津、工資、其他類似報酬及養老金，應適用第十五條至第十八條規定。

第二十條 教授、教師與研究人員

一、教授、教師與研究人員為他方領域之大學、學院或其他經認可之類似機構為教學、研究目的或兼具二者目的而訪問該他方領域，且於訪問該他方領域期間或訪問前為一方領域之居住者，其自訪問之日起不超過二年期間內，自該教學或研究所取得之任何報酬，該他方領域應予免稅。

二、個人為公共利益且非主要基於一人或多人之私人利益從事研究所取得之所得，始有本條規定之適用。

三、個人訪問他方領域時所屬會計年度或前一會計年度如為一方領域之居住者，視為本條所稱一方領域之居住者。

第二十一條 學生

一、學生專為教育或訓練目的而於他方領域停留，且於訪問他方領域期間或訪問前為一方領域之居住者，除補助金、貸款及獎學金外，其取得之下列給付，他方領域應予免稅：

(一) 他方領域境外之人為該學生生活、教育或訓練目的所為之給付。

(二) 於他方領域受僱且提供與其個人學習直接相關之勞務所取得之報酬。

二、本條利益僅適用於該學生為完成學業或訓練所需合理或慣常需要之留期間。但以自首次抵達他方領域之日起連續六年之期間為限。

第二十二條 其他所得

一、一方領域之居住者取得非屬本協定前述各條規定之所得，不論其來源為何，僅由該領域課稅。

二、所得人如係一方領域之居住者，經由其於他方領域內之常設機構從營業或固定處所執行業務，且與該所得給付有關之權利或財產與該常設機構或固定處所有實際關聯時，除第六條第二項定義之不動產所產生之所得外，不適用前項規定，而視情況適用第七條或第十四條規定。

三、一方領域之居住者取得源自他方領域以樂透彩券、填字遊戲、競賽(含賽馬)、撲克牌及其他任何種類之遊戲、或任何性質之賭博或打賭所取得之所得，他方領域得予課稅，不受第一項規定之限制。

第二十三條 雙重課稅之消除

消除雙重課稅之方式規定如下：

一、在第二條第三項第一款所稱領域：

(一) 第二條第三項第一款所稱領域之居住者，取得源自他方領域之所得，依據本協定規定，於他方領域就該所得繳納之稅額（如係股利所得，不包括用以發放該股利之利潤所繳納之稅額），應准予扣抵前者領域對該居住者所課徵之稅額。

但扣抵之數額，不得超過前者領域依其稅法及相關法令規定對該所得課徵之稅額。

(二) 第二條第三項第一款所稱領域之居住者取得之所得，依據本協定規定，第二條第三項第一款所稱領域應予免稅者，第二條第三項第一款所稱領域於計算該居住者之其餘所得之稅額時，得將該免稅所得列入計算。

二、在第二條第三項第二款所稱領域：

(一) 第二條第三項第二款所稱領域之居住者取得之所得，依據本協定規定，得由第二條第三項第一款所稱領域課稅者，其在第二條第三項第一款所稱領域已納之稅額，第二條第三項第二款所稱領域應准予自其對該居住者之所得所課徵之稅額中減除。

但前述減除之數額，不得超過減除該居住者在第二條第三項第一款所稱領域已納之稅額前所計算之第二條第三項第二款所稱領域稅額中，視情況歸屬於第二條第三項第一款所稱領域得予課稅之所得相關之稅額。

(二) 第二條第三項第二款所稱領域之居住者取得之所得，依據本協定規定，第二條第三項第二款所稱領域應予免稅者，第二條第三項第二款所稱領域於計算該居住者之其餘所得之稅額時，得將該免稅所得列入計算。

第二十四條 無差別待遇

一、一方領域之國民於他方領域內，不應較他方領域之國民於相同情況下，特別是基於居住之關係，負擔不同或較重之任何租稅或相關之要求。本項規定亦應適用於非一方領域居住者或非為雙方領域居住者之人，不受第一條規定之限制。

二、一方領域之企業於他方領域內有常設機構，他方領域對該常設機構之課稅，不應較經營相同業務之他方領域之企業作更不利之課徵。本項規定不應解釋為一方領域基於國民身分或家庭責任而給予其居住者個人之免稅額或減免等課稅規定，應同樣給予他方領域之居住者。本項規定不應解釋為一方領域對他方領域之企業於該一方領域內常設機構之利潤所課徵之稅率不得高於對該一方領域類似公司之利潤所課徵之稅率，且不應解釋為與本協定第七條第三項有所抵觸。

三、除適用第九條第一項、第十一條第七項或第十二條第六項規定外，一方領域之企業給付他方領域居住者之利息、權利金及其他款項，於計算該企業之應課稅利潤時，應與給付該一方領域居住者之情況相同而准予減除。

四、一方領域之企業，其資本之全部或部分由一個或一個以上之他方領域居住者直接或間接持有或控制者，該企業不應較該一方領域之其他類似企業，負擔不同或較重之任何租稅或相關之要求。

五、本條規定僅適用於本協定所規定之租稅。

第二十五條 相互協議之程序

一、任何人如認為一方或雙方領域之行為，對其發生或將發生不符合本協定規定之課稅，不論各該領域國內法之救濟規定，得向其本人之居住者領域主管機關提出申訴；如申訴案屬第二十四條第一項規定之範疇，得向其本人為國民所屬領域之主管機關提出申訴。此項申訴應於首次接獲不符合本協定規定課稅之通知起三年內為之。

二、主管機關如認為該申訴有理，且其本身無法獲致適當之解決，應致力與他方領域之主管機關相互協議解決，以避免發生不符合本協定規定之課稅。達成之任何協議應予執行，不受各該領域國內法任何期間規定之限制。

三、雙方領域之主管機關應相互協議，致力解決有關本協定之解釋或適用上發生之任何困難或疑義。雙方並得共同磋商，以消除本協定未規定之雙重課稅問題。

四、雙方領域之主管機關為達成前三項規定之協議，得直接相互聯繫。其如認為口頭意見交換為達成協議之適切方法，可透過雙方領域主管機關之代表組成委員會進行意見交換。

第二十六條 資訊交換

一、雙方領域之主管機關為實施本協定之規定或為雙方領域、其所屬機關或地方機關所課徵任何租稅有關國內法之行政或執行，於不違反本協定之範圍內，應相互交換可預見之相關資訊（包括文件或經驗證之文件影本）。資訊交換不以第一條及第二條規定之範圍為限。

二、一方領域依前項所取得之任何資訊，應按其依該領域國內法規定取得之資訊同以密件處理，且僅能揭露予與前項所述租稅之核定、徵收、執行、起訴、上訴之裁定有關人員或機關（包括法院及行政部門）或其監督。上開人員或機關僅得為前述目的而使用該資訊，但得於公開法庭之訴訟程序或司法判決中揭露之。一方領域取得之資訊，得依雙方領域法律及提供資訊一方領域主管機關之授權，作其他目的使用，不受前述規定之限制。

三、前二項規定不得解釋為一方領域有下列義務：

- （一）執行與一方或他方領域之法律或行政慣例不一致之行政措施。
- （二）提供依一方或他方領域之法律規定或正常行政程序無法獲得之資訊（包括文件或經驗證之文件影本）。
- （三）提供可能洩露任何貿易、營業、工業、商業或專業秘密或交易方法之資訊，或有違公共政策（公序）之資訊。

四、一方領域依據本條規定所要求提供之資訊，他方領域雖基於本身課稅目的無需此等資訊，亦應利用其資訊蒐集措施以獲得該等資訊。前述義務應受前項限制，但他方領域不得僅因該等資訊無國內租稅利益而引用前項限制，拒絕提供是項資訊。

五、第三項不應解釋為准許一方領域，僅因資訊為銀行、其他金融機構、名義代表人、代理人或受託人所有、或與所有權利益有關為由，而拒絕提供資訊。

第二十七條 協助徵稅

- 一、任一方領域應致力徵收由他方領域課徵屬於第二條規定之任何租稅，如同徵收本國租稅，且該項租稅之徵收，必需係為確使他方領域依本協定給予之免稅或減稅利益，不應由不具備適用上開利益資格之人所享有。
- 二、本條規定不得解釋為強制受請求之一方領域負有下列義務：
 - (一) 執行與一方或他方領域之法律或行政實務不一致之行政措施。
 - (二) 執行違反公共政策（公序）之措施。
 - (三) 於他方領域尚未依其法律或行政實務，貫徹所有合理徵收或保全措施之前提供協助。
 - (四) 於受請求之一方領域之行政負擔與他方領域將取得之利益顯不成比例情況下提供協助。

第二十八條 利益限制

- 一、不論本協定任何其他條文規定之限制，一方領域之居住者或與該居住者有關之人，以取得本協定之利益為其主要目的或主要目的之一者，該居住者不得享有他方領域依本協定所提供之減稅或免稅利益。
- 二、未從事實質營業活動之法人，亦適用本條利益限制之規定。

第二十九條 生效

- 一、駐新德里台北經濟文化中心與駐台北印度—台北協會，於依各自領域之法律規定完成使本協定生效之必要程序後，應以書面相互通知對方。
- 二、本協定應於收到後書面通知之日起生效。
- 三、本協定規定，其生效適用於：
 - (一) 在本協定第二條第三項第一款所稱領域，為本協定生效日所屬曆年之次年一月一日起之所得年度取得之所得。
 - (二) 在本協定第二條第三項第二款所稱領域，為本協定生效日所屬曆年之次年四月一日起之會計年度取得之所得。

第三十條 終止

本協定無限期繼續有效。但駐新德里台北經濟文化中心或駐台北印度-台北協會之任何一方得於本協定生效日起滿五年後之任一曆年末日至少六個月前，以書面通知對方終止本協定。其終止適用於：


- (一) 在本協定第二條第三項第一款所稱領域，為發出終止通知日所屬曆年之次年一月一日起之所得年度取得之所得。
- (二) 在本協定第二條第三項第二款所稱領域，為發出終止通知日所屬曆年之次年四月一日起之會計年度取得之所得。

為此，雙方代表業經合法授權於本協定簽字，以昭信守。

本協定以中文、印度文及英文各繕製二份，於2011年7月12日在印度新德里簽署，三種文字約本同一作準，但文義解釋發生歧異時，以英文本為準。


駐新德里台北經濟文化中心

駐台北印度-台北協會



(翁文祺)

代表



(羅國棟)

會長

議定書

駐新德里台北經濟文化中心與駐台北印度-台北協會2011年7月12日於印度新德里簽署本避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定之同時，雙方同意下列條款為構成本協定之一部分：

- 一、一方領域之國內法如較諸本協定規定對他方領域居住者有利時，該他方領域居住者應適用對其有利之一方領域國內法規定。
- 二、關於第二條，本協定不影響第二條第三項第一款所稱領域對土地增值稅之課徵。
- 三、關於第五條「常設機構」第四項第一款及第二款，如印度與中華人民共和國避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定進行修約，且修正後之協定刪除上開兩款規定之「或運送」等文字，則本協定該兩款規定將同時自動修正刪除該等文字，並自印度與中華人民共和國避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定修約生效日起生效。
- 四、關於本協定第五條「常設機構」第五項，如印度與中華人民共和國避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定進行修約，且修正後之協定第五條第五項包括「於一方締約國內代表他方締約國企業之人（非第七項所稱具有獨立身分之代理人），如於一方締約國內經常儲備貨物或商品，並經常代表該企業交付貨物或商品，於該一方締約國內構成常設機構。」之規定，則本協定第五條第五項將同時自動修正納入該相當規定，並自印度與中華人民共和國避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定修約生效日起生效。至納入本協定之確切內容將由雙方透過換文方式完成。
- 五、關於第二十三條，除本協定有特別規定外，任一方領域應繼續依各領域有效之法律規定課徵所得稅。雙方領域如對同一所得課稅，應依第二十三條規定消除雙重課稅。
- 六、關於第二十三條，本協定第二條第三項第二款所稱領域之居住者於本協定第二條第三項第一款所稱領域依土地稅法課徵之土地增值稅，不


得自本協定第二條第三項第二款所稱領域對該項所得課徵之稅額中扣除。

為此，雙方代表業經充分授權於本議定書簽字，以昭信守。


本議定書以中文、印度文及英文各繕製二份，於2011年7月12在印度新德里簽署，三種文字約本同一作準，但文義解釋發生歧異時，以英文本為準。

駐新德里台北經濟文化中心

駐台北印度—台北協會



(翁文祺)
代表



(羅國棟)
會長

AGREEMENT
BETWEEN

TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL CENTER IN NEW DELHI
AND

INDIA-TAIPEI ASSOCIATION IN TAIPEI

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi and India-Taipei Association in Taipei, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Article 1

PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the territories.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each territory or of its subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - a) in the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance in Taipei is applied:
 - (i) the profit seeking enterprise income tax;
 - (ii) the individual consolidated income tax; and
 - (iii) the income basic tax,
including the supplements levied thereon;

b) in the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance of India is applied: the income tax, including any surcharge thereon.

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the territories shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
- a) the term "territory" means the territory referred to in paragraph 3 (a) or 3 (b) of Article 2, as the case may be. The terms "other territory" and "territories" shall be construed accordingly;
 - b) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective territories;
 - c) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - d) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
 - e) the terms "enterprise of a territory" and "enterprise of the other territory" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a territory and an enterprise carried on by a resident of the other territory;

f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a territory, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other territory;

g) the term "competent authority" means:

(i) in the case of the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance in Taipei is applied, the Finance Minister or his authorized representative;

(ii) in the case of the territory in which the taxation law administered by the Ministry of Finance of India is applied, the Finance Minister of India or his authorized representative;

h) the term "tax" means the tax referred to in paragraph 3 (a) and 3 (b) of Article 2 as the case may be, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

i) the term "fiscal year" means:

(i) In the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2: the financial year beginning on the first day of January;

(ii) In the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2: the financial year beginning on the first day of April.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a territory, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that territory for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that territory prevailing over a meaning given to the term under other laws of that territory.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a territory " means any person who, under the laws of that territory, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that territory and any subdivision or local authority thereof.
2. A person is not a resident of a territory for the purposes of this Agreement if that person is liable to tax in that territory in respect only of income from sources in that territory, provided that this paragraph shall not apply to individuals who are residents of the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, as long as resident individuals are taxed only in respect of income from sources in that territory.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both territories, then his status shall be determined as follows:
 - a) he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both territories, he shall be deemed to be a resident only of the territory with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - b) if the territory in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either territory, he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has an habitual abode;
 - c) if he has a habitual abode in both territories or in neither of them, the competent authorities of the territories shall settle the question by mutual agreement.

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both territories, then it shall be deemed to be a resident only of the territory in which its place of effective management is situated. If the territory in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the territories shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop;
 - f) a sales outlet;
 - g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and

i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. a) A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities last more than 270 days.

b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the territory for a period or periods aggregating more than 182 days within any 12-month period constitutes a permanent establishment.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a territory on behalf of an enterprise of the other territory, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned territory in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

a) has and habitually exercises in that territory an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

b) habitually secures orders in the first-mentioned territory, wholly or almost wholly for the enterprise itself.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a territory shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other territory if it collects premiums in that other territory or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a territory merely because it carries on business in that territory through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a territory controls or is controlled by a company which is a resident of the other territory, or which carries on business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a territory from immovable property situated in the other territory may be taxed in that other territory.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the territory in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a territory shall be taxable only in that territory unless the enterprise carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other territory but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a territory carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, there shall in each territory be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the territory in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that territory. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other

offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a territory to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that territory from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a territory from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that territory.
2. For the purpose of this Article, profits derived by a transportation enterprise from the operation of ships or aircraft in international traffic include :
 - a) profits derived from the rental on a full (time or voyage) basis of ships or aircraft and
 - b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise, unless the containers are used solely within the other territory;where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircrafts in international traffic.
3. For the purposes of this Article interest on investments directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft if they are integral to the carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.
4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

a) an enterprise of a territory participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other territory, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a territory and an enterprise of the other territory,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a territory includes in the profits of an enterprise of the territory - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other territory has been charged to tax in that other territory and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned territory if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other territory shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the territories shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a territory to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.
2. However, such dividends may also be taxed in the territory of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 12.5 per cent of the gross amount of the dividends.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the territory of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a territory, carries on business in the other territory of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a territory derives profits or income from the other territory, that other territory may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other

territory or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other territory, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other territory.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.
2. However, such interest may also be taxed in the territory in which it arises, and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a territory shall be exempt from tax in that territory, provided that it is derived and beneficially owned by:
 - a) the authority administering a territory, a subdivision or a local authority of the other territory; or
 - b) Central Banks and Export-Import Banks of the territories referred to in paragraph 3 (a) and 3 (b) of Article 2; or
 - c) any other institution as may be identified and accepted from time to time by the competent authorities of both of the territories referred to in paragraph 3 (a) and 3 (b) of Article 2.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claims in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that territory. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.
2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the territory in which they arise, and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
3. a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

b) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the

right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. a) Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that territory. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- b) Where under subparagraph (a) royalties or fees for technical services do not arise in one of the territories, and the royalties relate to the use of, or the right to use, the right or property, or the fees for technical services relate to services performed, in one of the territories, the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in that territory.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a territory from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other territory may be taxed in that other territory.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a territory in the other territory for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other territory.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the territory of which the alienator is a resident.
4. Gains derived by a resident of a territory from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other territory may be taxed in that other territory.
5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a territory may be taxed in that territory.
6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the territory of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a territory from the performance of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that territory except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other territory:
 - a) if he has a fixed base regularly available to him in the other territory for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other territory; or
 - b) if his stay in the other territory is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other territory may be taxed in that other territory.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment shall be taxable only in that territory unless the employment is exercised in the other

territory. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other territory.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment exercised in the other territory shall be taxable only in the first-mentioned territory if:

a) the recipient is present in the other territory for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other territory, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other territory.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a territory may be taxed in that territory.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a territory in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a territory as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other territory, may be taxed in that other territory.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the territory in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a territory by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the territories or of subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the territory of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a territory in consideration of past employment shall be taxable only in that territory.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a territory or a subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that territory or subdivision or authority shall be taxable only in that territory.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other territory if the services are rendered in that territory and the individual is a resident of that territory who:

(i) is a national of that territory; or

(ii) did not become a resident of that territory solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a territory or a subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that territory or subdivision or authority shall be taxable only in that territory.

b) However, such pension shall be taxable only in the other territory if the individual is a resident of, and a national of, that other territory.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a territory or a subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the territory immediately before visiting the other territory for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar approved institution in that other territory shall be exempt from tax in that other territory on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other territory.
2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the private benefit of a person or persons.
3. For the purposes of this Article, an individual shall be deemed to be a resident of a territory if he is resident in that territory in the fiscal year in which he visits the other territory or in the immediately preceding fiscal year.

Article 21

STUDENTS

1. A student who is or was a resident of one of the territories immediately before visiting the other territory and who is present in that other territory solely for the purpose of his education or training, shall besides grants, loans and scholarships be exempt from tax in that other territory on:
 - a) payments made to him by persons residing outside that other territory for the purposes of his maintenance, education or training; and

- b) remuneration which he derives from an employment which he exercises in the other territory if the employment is directly related to his studies.
2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other territory.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a territory, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that territory.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a territory, carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a territory derives income from sources within the other territory in form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any nature whatsoever, such income may be taxed in the other territory.

Article 23

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Double taxation shall be eliminated as follows:

1. In the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2:
 - a) Where a resident of the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 derives income from the other territory, the amount of tax on that income paid in that other territory (but excluding, in the case of a dividend, tax paid in respect of the profits out of which the dividend is paid) and in accordance with the provisions of this Agreement, shall be credited against the tax levied in the first-mentioned territory on that resident.

The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the tax in the first-mentioned territory on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations.
 - b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 is exempt from tax in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2 may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.
2. In the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2:
 - a) Where a resident of the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2.

- b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 is exempt from tax in the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a territory shall not be subjected in the other territory to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other territory in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the territories.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory shall not be less favorably levied in that other territory than the taxation levied on enterprises of that other territory carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a territory to grant to residents of the other territory any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a territory from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other territory has in the first-mentioned territory at a rate of tax which is higher than that

imposed on the profits of a similar company of the first mentioned territory, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a territory to a resident of the other territory shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned territory.
4. Enterprises of a territory, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other territory, shall not be subjected in the first-mentioned territory to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned territory are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall apply to taxes which are covered by this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the territories result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those territories, present his case to the competent authority of the territory of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the territory of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other territory, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the territories.
3. The competent authorities of the territories shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the territories may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the territories.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the territories shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the territories, or of their subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a territory shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that territory and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting territory may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both territories and the competent authority of the supplying territories authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a territory the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other territory;
- b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other territory;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a territory in accordance with this Article, the other territory shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other territory may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a territory to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a territory to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. Each of the territories shall endeavor to collect, as if it were its own tax, any tax referred to in Article 2, which has been imposed by the other territory and the collection of which is necessary to ensure that any exemption or reduction of tax granted under this Agreement by that other territory shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits.
2. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a territory the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other territory;
 - b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
 - c) to provide assistance if the other territory has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
 - d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that territory is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other territory.

Article 28

LIMITATION OF BENEFITS

1. Notwithstanding the provisions of any other Article of this Agreement, a resident of a territory shall not be entitled to the benefits of this Agreement if the primary purpose or one of the primary purposes of such resident or a person connected with such resident was to obtain the benefits of this Agreement.
2. The cases of legal entities not having bona fide business activities shall be covered by the provisions of this Article.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi and India-Taipei Association in Taipei shall notify each other in writing, about the completion of the procedures required by the laws in their respective territories for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these written notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
3. The provisions of this Agreement shall have effect:
 - a) In the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, in relation to income derived in any year of income beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and

- b) In the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

Article 30

TERMINATION


This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by either the Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi or the India-Taipei Association in Taipei by giving a written notice of termination to the other at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- a) In the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, in relation to income derived in any year of income beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given;
- b) In the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi this 12th day of July, 2011, each in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR TAIPEI ECONOMIC AND
CULTURAL CENTER
IN NEW DELHI



(Wenchi Ong)
Representative

FOR INDIA-TAIPEI ASSOCIATION
IN TAIPEI



(Pradeep Kumar Rawat)
Director General

PROTOCOL

Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi and India-Taipei Association in Taipei on signing at New Delhi, on the 12th day of July, 2011, the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Agreement:

1. It is understood that if the domestic law of a territory is more beneficial to a resident of the other territory than the provisions of this Agreement, then the provisions of the domestic law of the first-mentioned territory shall apply to the extent they are more beneficial to such a resident.
2. With respect to Article 2, in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2, it is understood that nothing in the Agreement will affect the imposition of the Land Value Increment Tax under Land Tax Act.
3. In respect of subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 of Article 5 on 'Permanent Establishment', it is understood that if the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income between the Republic of India and the People's Republic of China is revised and the revised Agreement between the Republic of India and the People's Republic of China omits the words 'or delivery' from these two subparagraphs, then, a corresponding revision of these two subparagraphs shall be automatically effected in this Agreement and the words 'or delivery' shall stand omitted from these two subparagraphs, with effect from the date on which the revised Agreement for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion between the Republic of India and the People's Republic of China enters into force.
4. It is further understood that in respect of paragraph 5 of Article 5 on 'Permanent Establishment', if the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and


Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income between the Republic of India and the People's Republic of China is revised and the revised Agreement between the Republic of India and the People's Republic of China includes provisions to the effect that a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall constitute a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of activities he undertakes for the enterprise, if he habitually maintains in the first-mentioned state a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, then a corresponding revision of paragraph 5 of Article 5 shall be automatically effected in this Agreement by inserting similar provision with effect from the date on which the revised Agreement between the Republic of India and the People's Republic of China enters into force. The exact formulation of the provisions to be inserted in this Agreement shall be finalized by exchange of letters.

5. With respect to Article 23, it is understood that the laws in force in either of the territories shall continue to govern the taxation of income in the respective territories except when express provision to the contrary is made in this Agreement. When income is subject to tax in both territories, relief from double taxation shall be given in accordance with the provisions of Article 23.
6. With respect to Article 23, it is further understood that the territory referred to in paragraph 3 (b) of Article 2 shall not allow as a deduction from the tax on the income of its resident, Land Value Increment Tax under Land Tax Act imposed in the territory referred to in paragraph 3 (a) of Article 2.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this 12th day of July, 2011, each, in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR TAIPEI ECONOMIC AND
CULTURAL CENTER
IN NEW DELHI



(Wenchi Ong)
Representative

FOR INDIA-TAIPEI ASSOCIATION
IN TAIPEI



(Pradeep Kumar Rawat)
Director General

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र

और

ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ

के बीच

करार

नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र एवं ताइपेई में भारत-
ताइपेई संघ, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को
रोकने के लिए एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो राज्य क्षेत्रों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

शामिल कर

1. यह करार प्रत्येक राज्य क्षेत्र अथवा इसके उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों के साथ-साथ कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

(क) राज्य क्षेत्र में, जिस में भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू कराधान कानून लागू होता है : आय कर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;

(ख) राज्य क्षेत्र जिस में, ताइपेई के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू कराधान कानून लागू होता है :-

- (i) लाभ प्राप्त करने की कोशिश करने वाले उद्यम संबंधी आयकर ;
- (ii) व्यक्तिगत समेकित आयकर ; और
- (iii) आय आधार कर ;

जिस में उस पर उद्ग्रहीत अनुपूरक सम्मिलित हैं ।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्त्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) पद "राज्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) अथवा 3(ख) में उल्लिखित, जैसा भी मामला हो, राज्य क्षेत्र पद "दूसरा राज्य क्षेत्र" और "दोनों राज्य क्षेत्रों" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
 - (ख) पद "व्यक्ति" में शामिल है, कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का समूह और कोई अन्य ऐसी सत्ता जिसे संबंधित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;
 - (ग) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;
 - (घ) पद "उद्यम" किसी कारोबार को संचालित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;
 - (ङ) "एक राज्य क्षेत्र का उद्यम" तथा "दूसरे राज्य क्षेत्र का उद्यम" पद से क्रमशः एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
 - (च) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है, किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन, जो एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थानों के बीच ही चलाया जाता है ;
 - (छ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

- (i) उस राज्य क्षेत्र के मामले में, जिस में भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित कराधान कानून लागू किया जाता है, भारत के वित्त मंत्री, अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (ii) उस राज्य क्षेत्र के मामले में, जिस में ताइपेई के वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित कराधान कानून लागू किया गया है, वित्त मंत्री अथवा उन प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (ज) पद “कर” से तात्पर्य अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) और 3 (ख) में उल्लिखित कर, जैसा भी मामला हो, से है, किंतु इस में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में, जिन पर यह करार लागू होता है, किसी चूक अथवा त्रुटि के संबंध में देय है, अथवा जो ऐसे करों से संबंध में लगाए गए किसी अर्थदंड अथवा जुर्माने को निरूपित करती है ;
- (झ) पद “वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है :
- (i) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में : अप्रैल की पहली तारीख को आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष ;
- (ii) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में : जनवरी की पहली तारीख को आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष ;

2. जहां तक किसी राज्य क्षेत्र द्वारा इस करार को किसी भी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उन करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य क्षेत्र जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य क्षेत्र के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य क्षेत्र के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ “एक राज्य क्षेत्र का निवासी” पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास,

समावेश के स्थान, प्रबंध संस्थान अथवा ऐसे ही स्वरूप के किसी अन्य मानदण्ड के कारण कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य क्षेत्र और इसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है ।

2. कोई व्यक्ति, जो इस करार के प्रयोजनार्थ उस राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं है यदि वह व्यक्ति केवल उस राज्य क्षेत्र में स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में उसी राज्य क्षेत्र में कर के लिए उत्तरदायी है बशर्ते कि यह पैराग्राफ उन वैयक्तिकों पर लागू नहीं होगा जो कि अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के निवासी हैं, जब तक कि वैयक्तिक निवासी व्यक्तियों पर केवल उस राज्य क्षेत्र में उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में कर लगाया जाता है ।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही राज्य क्षेत्रों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

क) उसे केवल उसी राज्य क्षेत्र का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो ; यदि उसे दोनों ही राज्य क्षेत्रों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य क्षेत्र का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य क्षेत्र का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्य क्षेत्रों में से किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ;

4. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों राज्य क्षेत्रों का निवासी हो, वहां वह केवल उस राज्य क्षेत्र का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबन्ध स्थान स्थित है । यदि उसे राज्य क्षेत्र, जिसमें उस का प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता तो दोनों राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) कोई बिक्री बाजार ;
- (छ) किसी वैयक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो ;
- (ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों; और
- (झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. (क) कोई निर्माण स्थल अथवा निर्माण, संयोजन अथवा प्रस्थापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप एक "स्थायी संस्थापन"

निर्मित करते हैं किन्तु केवल तभी यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 270 दिन से अधिक समय तक चले;

(ख) ऐसे उद्देश्य के लिए किसी उद्यम द्वारा सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें उद्यम द्वारा लगाए गए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा परामर्शी सेवाएं भी शामिल हैं, किंतु केवल वही जहाँ ऐसे स्वरूप के कार्यकलाप (उसी अथवा संबद्ध परियोजना के लिए) राज्य क्षेत्र के भीतर किसी अवधि अथवा अवधियों के लिए, जो कुल मिलाकर किसी भी 12 माह की अवधि के अन्तर्गत 182 से अधिक दिन तक चले ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के भंडार का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा मात्र संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं के क्रय के प्रयोजनार्थ अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ङ.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट से भिन्न कोई व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, किसी राज्य क्षेत्र में दूसरे राज्य क्षेत्र के उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा जिन्हें उक्त व्यक्ति उस उद्यम के लिए करता है, यदि ऐसा व्यक्ति :-

(क) उस राज्य क्षेत्र में उस उद्यम के नाम से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार रखता हो और आदतन उस का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हो, जिन्हें यदि वह कारोबार के निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है तो वह उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के निश्चित स्थान को स्थायी संस्थापन नहीं बना देगा ; अथवा

(ख) आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम के लिए आर्डर प्राप्त करता है ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, किसी राज्य क्षेत्र के किसी बीमा उद्यम, पुनर्बीमा के अतिरिक्त, का दूसरे राज्य क्षेत्र में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि वह उस अन्य राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम का संग्रहण करता है अथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है, से अन्य किसी और व्यक्ति के माध्यम से उस में स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का उस दूसरे राज्य क्षेत्र में मात्र इस कारण किसी स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य क्षेत्र में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे उस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यह तथ्य कि, कोई कंपनी, जो किसी राज्य क्षेत्र की निवासी है किसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है जो कि दूसरे राज्य क्षेत्र की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के जरिए अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो उन दोनों कंपनियों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है ।
2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ वही होगा जो उस राज्य क्षेत्र के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिस में विचाराधीन संपत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि एवं वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भंडार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जिन में तेल, गैस और खदान शामिल हैं, के दोहन के लिए अथवा दोहन के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या नियत अदायगियों के अधिकार; जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।
3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।
4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. किसी राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य क्षेत्र में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक राज्य क्षेत्र का कोई उद्यम दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक राज्य क्षेत्र में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, जिनके होने की संभावना तब होगी यदि वे समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए कोई और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ उपगत किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार उपगत किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही उस राज्य क्षेत्र के उपबंधों के अनुसार और कर कानूनों की परिसीमाओं के अधीन वे उस राज्य क्षेत्र में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों। तथापि ऐसी किसी कटौती की उन धनराशियों के संबंध में, यदि कोई हों अनुमति नहीं दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के मुख्यालय अथवा उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंट अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रॉयल्टियों, फीसों अथवा समान अदायगियों के माध्यम से अथवा निष्पादित की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के माध्यम से अथवा बैंकिंग उद्यमों के मामलों के अतिरिक्त, स्थायी संस्थापनों को उधार दिए गए ब्याज के माध्यम से अदा किए गए (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) हों। उसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उस स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के मुख्यालय अथवा उस के अन्य किसी कार्यालय को, पेटेंट अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा अन्य समान अदायगियों के माध्यम से अथवा निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए या प्रबंधन के लिए कमीशन या अन्य प्रभारों के माध्यम से अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले के अतिरिक्त, उद्यम के मुख्यालय या उस के किसी अन्य कार्यालयों को उधार दिए गए धन पर ब्याज के माध्यम से, वसूली गई राशियों के लिए (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) कोई लेखा-जोखा नहीं किया जाएगा।

4. जहां एक राज्य क्षेत्र में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस राज्य क्षेत्र में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी। तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ तब तक वर्ष दर वर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किये जाते रहेंगे, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी एवं वायु परिवहन

1. किसी राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से किसी परिवहन उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों में निम्नलिखित शामिल है :-

(क) जलयानों अथवा वायुयानों के पूर्ण (समय अथवा समुद्र यात्रा) आधार पर किराए पर देने से व्युत्पन्न ब्याज ; और

(ख) माल अथवा पण्य के परिवहन के लिए प्रयुक्त आधानों (इस में आधानों के परिवहन के लिए ट्रेलर एवं अन्य उपस्कर शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए पर देने से प्राप्त लाभ, जब तक कि आधानों का केवल अन्य राज्य क्षेत्र के भीतर प्रयोग किया जाता हो ;

जहाँ ऐसे किराए पर दिया जाना अथवा ऐसे प्रयोग, रख रखाव अथवा किराए पर दिया जाना, जैसा भी मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से आनुषंगिक है।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, ऐसे निवेश, जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा

वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदि वे ऐसे कारोबार के प्रचालन का अभिन्न अंग हो, और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त उद्यम या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक राज्य क्षेत्र का कोई उद्यम दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम और दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक राज्य क्षेत्र उस राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य

उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक राज्य क्षेत्र की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस राज्य क्षेत्र में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस की लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है किंतु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे राज्य क्षेत्र का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 12.5 (साढ़े बारह) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिन में से लाभांश अदा किए जाते हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “लाभांश” शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य लाभ में भागीदारिता के ऋण दावे न होने के कारण तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से हैं जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कंपनी एक निवासी है ।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो किसी राज्य क्षेत्र का निवासी होने के कारण दूसरे राज्य क्षेत्र में, वहां स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी हैं अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्ति से सेवाएं प्रदान करता है और जिन धारिताओं के सम्बन्ध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहाँ ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।
5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक राज्य क्षेत्र की निवासी है, दूसरे राज्य क्षेत्र से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य क्षेत्र कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर

कोई कर नहीं लगाएगा जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य क्षेत्र के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जब कि सम्पत्ति जिस के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह उस दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के संबंध में हो ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।
2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस राज्य क्षेत्र में भी और उस राज्य क्षेत्र के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे राज्य क्षेत्र का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक राज्य क्षेत्र में उद्भूत ब्याज पर उस राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त होगी यदि यह निम्न द्वारा प्राप्त एवं हितभागी रूप से स्वामित्व प्राप्त है :-

- (क) किसी राज्य क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण, अन्य राज्य क्षेत्र का उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा
- (ख) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) और 3(ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्रों के सेंट्रल बैंक और आयात निर्यात बैंक ; अथवा
- (ग) कोई अन्य संस्थान, जिस की अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) और 3(ख) में उल्लिखित दोनों राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर पहचान की गई हो और उसे स्वीकार किया गया हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हो। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी जो एक राज्य क्षेत्र का निवासी होने से दूसरे राज्य क्षेत्र में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी राज्य क्षेत्र का निवासी हो अथवा नहीं, किसी राज्य क्षेत्र में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य क्षेत्र के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक राज्य क्षेत्र में उद्भूत होने वाले और दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस राज्य क्षेत्र में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी इस राज्य क्षेत्र का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3.(क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियाँ" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो या टेलीविजन में प्रसारण हेतु फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार हेतु औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गयी किसी भी प्रकार की अदायगियां।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय, तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था हित कोई प्रबंध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल के रूप में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इस में इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक राज्य क्षेत्र का निवासी होने के कारण दूसरे राज्य क्षेत्र में, जिसमें रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है

अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध हैं ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5.(क) एक राज्य क्षेत्र में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता उस राज्य क्षेत्र का निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी राज्य क्षेत्र का निवासी हो अथवा नहीं, उस राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस राज्य क्षेत्रों में से किसी एक में उद्भूत नहीं होती है और रायल्टियां राज्य क्षेत्र में से किसी एक में अधिकार अथवा सम्पत्ति के प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार से संबंधित होती हैं वहाँ रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस राज्य क्षेत्रों में से किसी एक में निष्पादित सेवाओं से संबंधित होती है । वहां रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य क्षेत्र में उद्भूत हुई मानी जाएंगी ।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।
2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को दूसरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ शामिल हैं, उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लग सकेगा ।
3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।
4. एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उन के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाले शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।
5. किसी ऐसी कम्पनी, जो किसी राज्य क्षेत्र की निवासी है, को पैराग्राफ 4 में उल्लिखित से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे राज्य क्षेत्र में भी कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे राज्य क्षेत्र में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य क्षेत्र में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारम्भ हुए किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो ।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों इंजीनियरों, वास्तुविदों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे राज्य क्षेत्र में नहीं किया गया है । यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारंभ अथवा समाप्त हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य क्षेत्र में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं ; और
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं है ; और
- (ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य क्षेत्र में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी पोत अथवा वायुयान के संचालन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उसी राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर, जो एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी जो दूसरे राज्य क्षेत्र की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे राज्य क्षेत्र में किए गए इस

प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद, उस राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी राज्य क्षेत्र में किए गए अपने कार्य-कलापों से अर्जित आय पर लागू नहीं होंगे यदि कार्य-कलाप एक अथवा दोनों राज्य क्षेत्रों अथवा उसके उप-प्रभागों अथवा उसके स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित हों । ऐसे मामले में उस आय पर केवल उसी राज्य क्षेत्र में कर लगेगा जिसका वह मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधधीन, एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य क्षेत्र में कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. क) किसी राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी उप प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य क्षेत्र में ही कर लग सकेगा ।

ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे राज्य क्षेत्र में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य क्षेत्र में की जाती हैं, और व्यक्ति उस राज्य क्षेत्र का एक निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य क्षेत्र का एक राष्ट्रिक है ; अथवा

(ii) सेवाएं पेश करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं बना हो ।

2. क) किसी राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा ।

ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे राज्य क्षेत्र में कर लगेगा, यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य क्षेत्र का एक निवासी तथा एक राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17, और 18 के उपबंध किसी राज्य क्षेत्र अथवा किसी उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक या शोधकर्ता जो दूसरे राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में इसी तरह के कोई अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान में शिक्षण या शोध कार्य या दोनों के प्रयोजन हेतु उस दूसरे राज्य क्षेत्र की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक राज्य क्षेत्र का निवासी है अथवा था, तो उसको उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद केवल शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा यदि ऐसा शोधकार्य व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक हित में किया जा रहा हो और न कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को किसी राज्य क्षेत्र का निवासी माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे राज्य क्षेत्र का दौरा करता है अथवा उससे तुरन्त पूर्व वित्तीय वर्ष में उस राज्य क्षेत्र का निवासी है ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1. किसी विद्यार्थी को जो दूसरे राज्य क्षेत्र का दौरा करने के तुरन्त पहले राज्य क्षेत्रों में से किसी एक का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उपस्थित है, उसे अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त होगी :

क) उस दूसरे राज्य क्षेत्र से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां और

ख) दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके द्वारा किए जा रहे किसी नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक पर, यदि वह नियोजन प्रत्यक्ष रूप से उसकी शिक्षा से संबंधित है ।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य क्षेत्र में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1 एक राज्य क्षेत्र के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य क्षेत्र में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक राज्य क्षेत्र का निवासी होने के नाते दूसरे राज्य क्षेत्र में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य क्षेत्र में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, जो ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी राज्य क्षेत्र का कोई निवासी दूसरे राज्य क्षेत्र के भीतर लाटरियों, वर्ग पहेलियों, दौड़ों, जिसमें घुडदौड़ शामिल है, कार्ड गेम्स एवं किसी भी प्रकार के अन्य गेम्स अथवा किसी भी स्वरूप का जुआ अथवा पणक्रिया के रूप में स्रोतों से आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय दूसरे राज्य क्षेत्र में कराधेय होगी ।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान के अपाकरण की विधि

दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

1. अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में ;

क) जहां अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर

लगाया जा सकता है तो अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र उस निवासी की आय पर अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में अदा किए गए कर की राशि के बराबर राशि पर कर से छूट प्रदान करेंगे ।

तथापि, ऐसी छूट कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो छूट दिए जाने से पहले, जैसा भी मामला हो, यथा-संगणित हो, जो उस आय के कारण हो, जिस पर अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर लगाया जा सकता हो ।

ख) जहां, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर करार के किसी उपबंध के अनुसार अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त हो, वहां अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा ।

2. अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में ;

क) जहां, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र का कोई निवासी दूसरे राज्य क्षेत्र से आय प्राप्त करता है, वहां उस दूसरे राज्य क्षेत्र में (परन्तु लाभांश के मामले में, उन लाभों के संबंध में अदा किए गए कर को छोड़कर जिसमें से लाभांश अदा किया गया है) और इस करार के उपबंधों के अनुसार उस आय पर प्रदत्त कर की राशि को उस निवासी पर प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में उदग्रहीत कर के प्रति क्रेडिट किया जाएगा तथापि, क्रेडिट राशि इसके कराधान कानूनों एवं विनयमनों के अनुसार संगणित उस आय पर प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर की राशि से अधिक नहीं होगी ।

ख) जहां, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर करार के किसी उपबंध के अनुसार अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) ने उल्लिखित राज्य क्षेत्र में कर से छूट प्राप्त हो, वहां अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा ।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक राज्य क्षेत्र के राष्ट्रिकों पर दूसरे राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों राज्य क्षेत्र के निवासी नहीं हैं।

2. एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम के दूसरे राज्य क्षेत्र में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य क्षेत्र के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक राज्य क्षेत्र के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे राज्य क्षेत्र के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे राज्य क्षेत्र की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है, न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक राज्य क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को अदा किये गये ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे, मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के किसी निवासी को किया गया हो।

4. एक राज्य क्षेत्र के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे राज्य क्षेत्र के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा

या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, उन कसों पर लागू होंगे जो इस करार के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों राज्य क्षेत्रों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्य क्षेत्रों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। इस मामले को उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी करार को राज्य क्षेत्रों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं हों, तो राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई करार करने के प्रयोजनार्थ राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब विचारों के मौखिक आदान-प्रदान हेतु करार का इस दिशा में होना उचित प्रतीत होता है तो इस तरह

के आदान-प्रदान को राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों वाले एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों के अथवा राज्य क्षेत्रों या उनके उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकारियों के सभी प्रकार के उन कर्षों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. पैराग्राफ - 1 के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य क्षेत्र के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ - 1 में संदर्भित कर्षों के संबंध में कर्षों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में इसे प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्यक्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई सूचना को अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यक्षेत्रों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता हो और आपूर्तिकर्ता राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोगों को प्राधिकृत करता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

क) उस अथवा दूसरे राज्य क्षेत्र के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

- ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे राज्य क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल है (आर्डर पब्लिक) ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी राज्य क्षेत्र द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा राज्य क्षेत्र अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य क्षेत्र को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि राज्य क्षेत्र केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी राज्य क्षेत्र को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।

अनुच्छेद - 27

करों की वसूली में सहायता

1. प्रत्येक राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 2 में उल्लिखित किसी कर, जिसे दूसरे राज्य क्षेत्र द्वारा लगाया गया हो वसूल करने का प्रयास करेगा जैसे कि यह उसका अपना कर हो, और जिसकी वसूली यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो कि उस दूसरे राज्य क्षेत्र द्वारा इस करार के अंतर्गत स्वीकृत कर पर कोई छूट अथवा कटौती उन व्यक्तियों को नहीं मिले जो ऐसे लाभों के लिए पात्र न हों ।

2. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा ;

- क) उस अथवा दूसरे राज्य क्षेत्र के कानूनों एवं प्रशासनिक प्रथाओं से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- ख) ऐसे उपाय करना जो सार्वजनिक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो ;
- ग) सहायता प्रदान करना, यदि दूसरे राज्य क्षेत्र ने अपने कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध अथवा प्रशासनिक प्रथा के अनुरूप वसूली अथवा अनुरक्षण जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपाय न किए हों ।
- घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य क्षेत्र के लिए प्रशासनिक बोझ स्पष्ट रूप से दूसरे राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के अनुपात में न हों।

अनुच्छेद - 28

लाभों का परिसीमन

1. इस करार के किसी दूसरे अनुच्छेद के उपबंधों के होते हुए भी, किसी राज्य क्षेत्र का कोई निवासी इस करार के लाभों के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसे निवासी अथवा ऐसे निवासी के साथ जुड़े किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा एक मुख्य प्रयोजन में से एक इस करार के लाभों को प्राप्त करना था ।
2. विधिमान्य हस्तियों के मामलों में जिनकी प्रामाणिक कारोबारी गतिविधियां नहीं है, इस अनुच्छेद के उपबंधों में शामिल होंगे ।

अनुच्छेद - 29

प्रवृत्त होना

1. ताइपेई में भारत-ताइपेई संगठन और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र इस करार के लागू करने के लिए अपने संबंधित राज्य क्षेत्रों में कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे को लिखित में अधिसूचित करेंगे ।
2. यह करार, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित इन लिखित अधिसूचनाओं के सबसे बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा ।

3. इस करार के उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :-

- क) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद जिसमें करार प्रवृत्त होता है, आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में; और
- ख) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद जिसमें करार प्रवृत्त होता है, आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

अनुच्छेद - 30

समापन


यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ अथवा नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र में से किसी एक द्वारा करार के प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले दूसरे को इसके समापन की एक लिखित सूचना नहीं दी जाती है । ऐसी स्थिति में करार निम्न प्रभाव से समाप्त हो जाएगा ;

- क) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें नोटिस दिया जाता है, के अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ;
- ख) अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3(ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में उस अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जिसमें समापन का नोटिस दिया जाता है, के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जुलाई माह के बारहवें दिन, चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा

नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं
सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से




(वेनची औंग)

प्रतिनिधि,

ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र
नई दिल्ली

ताइपेई में भारत-ताइपेई
संगठन की ओर से



(प्रदीप कुमार रावत)

महानिदेशक,

भारत-ताइपेई संघ, ताइपेई

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ और नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जुलाई माह के बारहवें दिन को करार पर हस्ताक्षर किए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति हुई जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे ।

1. यह स्पष्ट है कि यदि किसी राज्य क्षेत्र का घरेलू कानून किसी अन्य राज्य क्षेत्र के निवासी को इस करार के उपबंधों से अधिक लाभकारी है, तब प्रथमोल्लिखित राज्य क्षेत्र के घरेलू कानून के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक ये ऐसे निवासी को अधिक लाभकर हैं ।
2. अनुच्छेद 2 के संबंध में, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में, यह स्पष्ट है कि करार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भूमि कर अधिनियम के अन्तर्गत भूमि मूल्य वृद्धि कर के अधिरोपण को प्रभावित करेगा ।
3. “स्थाई संस्थापन” पर अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफों (क) और (ख) के संबंध में, यह स्पष्ट है कि यदि भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए करार को संशोधित किया जाता है और भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के मध्य संशोधित करार में इन दो उप पैराग्राफों में से शब्द “अथवा वितरण” हटा दिए जाते हैं, तब इन दोनों उप पैराग्राफों के अनुरूपी संशोधन स्वतः ही इस करार में लागू होंगे और शब्द “अथवा वितरण” इन दोनों उप-पैराग्राफों से उस तारीख से समाप्त माने जाएंगे जिस तारीख से भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के मध्य दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए संशोधित करार प्रवृत्त होता है ।
4. आगे यह समझा जाता है कि “स्थायी संस्थापन” पर अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के संबंध में यदि भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार को संशोधित किया जाता है और भारत गणराज्य तथा चीन जनवादी गणराज्य के बीच संशोधित करार में इस आशय के उपबंध अंतर्विष्ट किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो एक स्वतंत्र हैसियत के एजेंट से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा है तो वह उद्यम के लिए किए गए कार्यकलापों के संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन

बनाएगा, यदि वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता है, और जिससे वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता है, तब अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 का तदनुरूपी संशोधन उस तारीख से इसी तरह के उपबंध को अन्तर्विष्ट करके इस करार में स्वतः ही लागू हो जाएगा जिस तारीख को भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच संशोधित करार लागू होता है। इस करार में अंतर्विष्ट किए जाने वाले उपबंधों के सही सूत्रीकरण को पत्रों के आदान-प्रदान से अंतिम रूप दिया जाएगा।


5. अनुच्छेद 23 के संबंध में, यह समझा जाता है कि दोनों में से किसी भी राज्य क्षेत्र में लागू कानून, संबंधित राज्य क्षेत्र में आय के कराधान को तब तक अधिशासित करते रहेंगे जब तक कि इस करार में इसके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध न बनाया जाए। जब दोनों राज्य क्षेत्रों में आय, कर के अध्यक्षीन हो तो अनुच्छेद 23 के उपबंधों के अंतर्गत दोहरा कराधान से राहत दी जाएगी।

6. अनुच्छेद 23 के संबंध में, आगे यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र अपने निवासी की आय पर, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में लगाए गए भूमि कर अधिनियम के अंतर्गत भूमि मूल्य वृद्धि कर से छूट की अनुमति नहीं देगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जुलाई माह के बारहवें दिन, चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा।


नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं
सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से



(वेनची आंग)
प्रतिनिधि,

ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र
नई दिल्ली

ताइपेई में भारत-ताइपेई
संगठन की ओर से



(प्रदीप कुमार रावत)
महानिदेशक,
भारत-ताइपेई संघ, ताइपेई